

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 जनवरी 2018—पौष 13, शक 1939

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462011  
आदेश

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. एफ-87-31-17-पांच-01.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014” मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह-अगस्त, 2017 में संपन्न नगर परिषद्, सैलाना, जिला-रतलाम (म. प्र.) के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्रीमती शिवकन्या पति बाबुलाल जी पाटीदार भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगर परिषद्, सैलाना, जिला-रतलाम के आम निर्वाचन का परिणाम दिनांक 16 अगस्त 2017 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 15 सितम्बर 2017 तक श्रीमती शिवकन्या पति बाबुलाल जी पाटीदार को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, रतलाम (म. प्र.) के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रतलाम (म. प्र.) के पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2017 के संलग्न प्राप्त परिशिष्ट-छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्रीमती शिवकन्या पति बाबुलाल जी पाटीदार द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे विलम्ब से अर्थात् दिनांक 27 सितम्बर 2017 को प्रस्तुत किए गए।

विलम्ब से में निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रतलाम से प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती शिवकन्या पति बाबुलाल जी पाटीदार को आयोग की ओर से कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2017 जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली की रिपोर्ट उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन) जिला-रतलाम के पत्र दिनांक 30 अक्टूबर 2017 के संलग्न आयोग को प्राप्त हो जाने के उपरान्त, आयोग के ज्ञापन दिनांक 15 नवम्बर 2017 द्वारा जिले से इस आशय की जानकारी चाही गई कि नोटिस तामीली के उपरान्त यदि इस बीच अभ्यर्थी, श्रीमती शिवकन्या पति बाबुलाल जी पाटीदार द्वारा जिला स्तर पर इस संबंध में उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक सुनवाई हेतु लिखित अभ्यावेदन जिला स्तर पर प्रस्तुत किया गया हो तो उनकी विश्वसनीयता/स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्ट अभिमत से आयोग को अवगत कराया जाये।

आयोग के उपर्युक्त संदर्भित-पत्र दिनांक 15 नवम्बर 2017 के संदर्भ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला-रतलाम के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 30 नवम्बर 2017 में अभ्यर्थी, श्रीमती शिवकन्या पति बाबुलाल जी पाटीदार के संबंध में वस्तुस्थिति प्रकट की गई कि—“कारण बताओ नोटिस तामील हो जाने के उपरान्त इनके द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आज तक न तो लिखित अथवा मौखिक सुनवाई हेतु अभ्यावेदन जिला स्तर पर नहीं दिया गया है”।

जिले से उक्ताशय की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरान्त श्रीमती शिवकन्या पति बाबुलाल जी पाटीदार के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-रतलाम के माध्यम से सूचना-पत्र दिनांक 6 दिसम्बर 2017 जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 26 दिसम्बर 2017 को सभिलेख बुलाया गया।

अभ्यर्थी श्रीमती शिवकन्या पति बाबुलाल जी पाटीदार को सूचना-पत्र की तामीली व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि के पूर्व अर्थात् दिनांक 08 दिसम्बर 2017 को जिला कार्यालय द्वारा करा दी गई थी। अभ्यर्थी, श्रीमती शिवकन्या पति बाबुलाल जी पाटीदार व्यक्तिगत सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावजूद कोई अभ्यावेदन अभ्यर्थी की ओर से आयोग को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी, श्रीमती शिवकन्या पति बाबुलाल जी पाटीदार द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत ही नहीं किए गए एवं न ही इसके संबंध में कोई समाधानकारक कारण आयोग को प्रस्तुत कर सकीं। अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्ययों के लेखे विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अधीन एवं सहपठित म.प्र. नगरपालिका नियम, 1994 के नियम-11-क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभ्यर्थी, श्रीमती शिवकन्या पति बाबुलाल जी पाटीदार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सैलाना, जिला-रतलाम (म. प्र.) का अध्यक्ष या पार्षद् होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।